राष्ट्र महिला

अप्रैल 2007 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

चर्चा में बलात्कारी के साथ विवाह

कुछ ही दिन पूर्व, एक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार-पत्र ने एक बलात्कारी का अपनी पीड़िता के साथ विवाह का समाचार छापा था। दुर्भाग्यवश, यह प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है और अनेक बलात्कारी जेल की सात वर्ष की न्यूनतम सजा से बचने के लिए उन लड़कियों से विवाह का वादा कर रहे हैं जिनका उन्होनें बलात्कार किया था।

इस संदर्भ में, शान्ति मुकुन्द अस्पताल का मामला याद आता है जिसमें कि बलात्कारी वार्ड बॉय ने सजा सुनाए जाने से मिनटों पूर्व पीड़िता नर्स के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। यह और बात है कि न्यायालय के सम्मुख पेश लड़की ने यह प्रस्ताव बिल्कुल ठुकरा दिया। उसकी प्रतिक्रिया थी कि 'बलात्कारी का फांसी दी जाये'।

निस्संदेह, इस प्रकार के सोचे-समझे प्रस्तावों के पीछे छुपी मंशा कम सज़ा पाना अथवा साफ बच निकलना है।

उपरोक्त मामले में, नर्स ने ऐसे घृणित प्रस्ताव को ठुकरा कर निश्चय ही सही काम किया। कुत्सित उद्देश्य वाले ऐसे विवाह कभी सफल नहीं हो सकते और प्रारंभ से ही विनाशकारी साबित होंगे। उदाहरणार्थ, वर्ष 2002 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आरोपी के विरुद्ध बलात्कार के मामले को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि लड़की उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गयी है। वर्ष 2006 में यह दम्पत्ति तलाक मांगते हुए न्यायालय पहुंचा। एक अन्य मामले में, उस व्यक्ति ने जिसने बलात्कार करने के बाद लड़की से विवाह किया था, बाद में दहेज के लिए उसे जला दिया। एक और मामले में, लड़की ने परिवार के दबाब में अपने बलात्कारी के साथ विवाह कर लिया, किन्तु लगातार शारीरिक तथा मानसिक प्रताणना के कारण आज लड़की का जीवन नर्क बन गया है।

इन मामलों से सिद्ध होता है कि बलात्कारी के साथ लड़की का विवाह कोई समाधान नहीं है। इसके विपरीत, बलात्कारी के साथ रह कर पीड़िता दिन प्रतिदिन अपनी उस मानसिक तथा शारीरिक पीड़ा को पुन: भुगतती रहती है। फिर, इस बात की क्या गारंटी है कि बलात्कारी पति विवाह के बाद भी उसका बलात्कार नहीं करेगा? वैवाहिक बलात्कार भी अपराध है।

इस सब के बावजूद भी सामाजिक तथा पारिवारिक दबावों के कारण ऐसे विवाह होते रहते हैं और पीड़िता भी महसूस करती है कि सामाजिक कलंक तथा बहिष्कार से बचने का उपाय बलात्कारी के साथ विवाह कर लेना ही है।

इस संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय का हाल ही में दिया गया यह निर्णय एक क्रांतिकारी कदम है कि किसी व्यक्ति द्वारा बलात्कार किए जाने पर उसका अपराध पीड़िता के साथ विवाह करने पर अथवा दोनों के बीच कोई समझौता हो जाने पर माफ नहीं किया जा सकता। बलात्कारी के साथ कोई नरमी न बरते जाने का न्यायालय का निर्णय एक अत्यंत कुत्सित अपराध से बच निकलने के सभी प्रयासों को विफल कर देगा। बलात्कारियों के विरुद्ध आरोपों को त्याग देना स्वयं अपराध का समर्थन करने के बराबर है।

सती अपराधी नहीं, अपराध का शिकार है

केन्द्र सरकार सती निषेध अधिनियम में एक संशोधन लाएगी जिसके अनुसार सती होने का प्रयास करने वाली महिलाएं अपराध का शिकार मानी जायेंगी, अपराधी नहीं।

अब तक, सती (निषेध) अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार, सती होने वाली महिला को आत्म-हत्या करने वाले अपराधी के बराबर माना जाता था जिसकी सजा एक वर्ष और/या जुर्माना थी। कानून में उन परिस्थितियों तथा सामाजिक दबावों का ध्यान नहीं रखा गया था जिनके कारण वे सती होने को बाध्य होती हैं।

प्रस्तावित संशोधनों में, सती को गौरांववित करने के लिए भी अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया जायेगा।

यह प्रावधान भी किया जायेगा कि जिस क्षेत्र विशेष में कोई महिला सती होती है, वहां के समस्त समुदाय पर उसे सती होने से रोकने की विफलता के लिए जुर्माना होगा। कानून के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व पंचायत के कार्य-निर्वाहाकों का होगा।

सती कृत्य को उकसाने वाले की सजा मृत्यु अथवा आजीवन कारावास होगी। सती को गौरान्वित करने की सजा एक वर्ष से सात वर्ष तक का कारावास हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम में यह प्रावधान भी होगा कि सती होने वाली किसी भी महिला को कोई भी रिश्तेदार उसके स्वर्गवासी पति की संपत्ति में हिस्सेदार नहीं होगा।

रात की पारी में काम करने वाली महिलाओं के लिए बेहतर सुरक्षा

रात की पारी में काम करने वाली महिलाओं के लिए बेहतर सुरक्षा आश्वस्त करने के लिए दिल्ली पुलिस ने पहली बार मार्गनिर्देश जारी किए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर, बीपीओ, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यस्थलों से इन मार्गनिर्देशों का पूरी तरह पालन करने को कहा गया है।

इस संभावना पर चिंता करते हुए कि यौन उत्पीड़न के अनेक मामले दर्ज नहीं किए जाते, अब यह तय किया गया है कि बीपीओ के कर्मचारियों को लाने-लेजाने वाले वाहनों के ड्राइवरों के विरुद्ध शिकायतों को सीधे जानने के लिए एक पुलिस अधिकारी बीपीओ के कर्मचारियों के साथ हर महीने बैठकें करेगा।

सभी कॉल सेंटरों के ड्राइवरों को, जिनमें किराए पर लिए गये ड्राइवर भी शामिल हैं, अपने नियोक्ताओं से पहचान-पत्र लेने होंगे।

सभी कर्मचारियों को गाड़ी में चढ़ाने और उतारने का पूरा ब्यौरा कंपनी तथा परिवाहकों के मैनेजरों को रखना होगा।

समस्त वाहनों से आपतकालीन पुलिस संपर्क, महिला हेल्पलाइनों तथा परिवहन कंपनियों के मैनेजरों के नंबर प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है।

इटालवी शिष्टमंडल का आयोग में आगमन

टुस्केन्नी (इटली) का एक पांच-सदस्यीय शिष्टमंडल राष्ट्रीय महिला आयोग में आकर अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास तथा आयोग के अन्य सदस्यों से मिला। टुस्केन्नी राज्य की कृषि एवं महिला विकास मंत्री तथा शिष्टमंडल की नेता सुश्री सुसेन सेन्नी ने इस मुद्दे पर चर्चा की कि जैविक-वैविध्यता से किस प्रकार हानि की अपेक्षा लाभ हुआ है।

डा. गिरिजा व्यास ने कहा कि आयोग ने नयी कृषि नीति पर अपने सुझाव भेजे हैं। उन्होनें बताया कि राजस्थान में सिंचाई की एक रिसाव प्रणाली प्रचलित है जिसमें बहुत कम पानी से सिचांई की जाती है। उन्होंने कहा कि कृषि में महिलाओं की मुख्य समस्या विक्रय तथा भंडारन की है।

इटालवी शिष्टमंडल के साथ अध्यक्षा एंव सदस्यगण

बालिकाओं के सहायतार्थ बीमा योजना

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ग्यारहवीं योजना में एक स्कीम प्रस्तावित की है जो लड़कियों की चिकित्सा तथा शिक्षा का व्यय वहन करेगी और 18 वर्ष की आयु होने पर उन्हें एक सांकेतिक राशि भी प्रदान करेगी।

इस स्कीम का केन्द्र-बिन्दु लड़कियों के अस्तित्व की संरक्षा तथा उनका सर्वांगीण विकास होगा। देश के अनेक भागों में उत्पन्न महिला-पुरुष अनुपात की असमता में संतुलन लाने के अतिरिक्त, यह नारी भ्रूण-हत्या की समस्या भी सुलझाएगी। इसमें चार मुख्य शर्ते पूरी करनी होगी। लड़की के जन्म का पंजीकरण, टीकाकरण, स्कूल बीच में न छोड़ना और 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह।

स्कीम पहले उन जिलों में प्रारंभ की जायेगी जहां लिंग अनुपात में विषमता है, नारी भ्रूण-हत्या की दर अधिक है और लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर ज्यादा है। मंत्रालय के 11 वीं योजना के प्रस्ताव में पंजाब तथा हरियाणा ऐसे दो प्रमुख क्षेत्र हैं जिनकी इस बारे में पहचान की गयी है।

डा. श्रीन खेली का आयोग में आगमन

अमेरिकी विदेश मंत्री सुश्री कोंडलीजा राइस की दूत एवं वरिष्ठ सलाहकार (महिला सशक्तिकरण) डा. श्रीन ताहिर खेली राष्ट्रीय महिला आयोग में आयीं और अध्यक्षा तथा आयोग के सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया और महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दों एवं उन्हें अपने आर्थिक, सामाजिक तथा राजनितिक प्रगति के अवसर प्रदान किए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की।

डा.श्रीन खेली के साथ विचार-विमर्श करते हुए आयोग की अध्यक्षा

लगभग 45 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व हो जाता है

वर्ष 2005-06 के दौरान 29 राज्यों में किए गये राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III के अनुसार, भारत में लगभग 45 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पूर्व ही कर दिया जाता है।

20 और 24 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं के सर्वेक्षण से पता चला कि झारखंड तथा बिहार में यह स्थिति सबसे खराब है।

जब कि झारखंड में 61 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व हो जाता है, बिहार में यह संख्या 60 प्रतिशत है। राजस्थान का प्रतिशत 55 है।

आंध्र प्रदेश में 55 प्रतिशत मध्यप्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 53 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 52 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व हो जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गये श्रमिक सर्वेक्षणों के अनुसार, 1990-2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत 29.9 से बढ़कर 2004-05 में 32.7 हो गया तथा देश में कामकाजी महिलाओं की संख्या में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

शहरी महिलाओं के मामले में, 1999-2000 में कामकाजी महिलाओं की संख्या 2.7 प्रतिशत थी जो 2004-05 में बढ़कर 13.9 प्रतिशत हो गयी।

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की संख्या सब से अधिक, अर्थात् 50.4 प्रतिशत, नागालैंड में थी। शहरी क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिशत मिज़ोरम में था।

दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं का अनुपात सबसे कम अर्थात् 4.7 प्रतिशत है, जबकि बिहार में कुल कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत सबसे कम अर्थात् 6.5 प्रतिशत है।

सदस्यों के दौरे

- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी विशाखा मार्गनिर्देशों के कार्यान्वयन का पालन करने में स्वास्थ्य विभाग तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के अधिकारियों एवं स्टाफ को प्रेरित करने के प्रयोजन से पश्चिम बंगाल महिला आयोग की सहायता से एक गैर सरकारी संगठन संहिता द्वारा आयोजित बैठक में सदस्या मालिनी भट्टाचार्य ने भाग लिया।

  बाद में उन्होनें जबाला शोध संगठन की एक बैठक में भाग लिया जिसका विषय था 'एचआईवी/एड्स का मुकाबला कैसे करें'। वह एसएसकेएम अस्पताल देखने भी गयीं जहां नंदीग्राम गोलीबारी में गंभीर रूप से घायलों का उपचार चल रहा था।

  सुश्री भट्टाचार्य पटना में रेणु ठाकुर के मामले की जांच करने गयीं जिसे अपने घर से निकाल दिया गया था और जो इस समय पश्चिम बंगाल महिला यूनिअन के आश्रयगृह में रह रही थी। बाद में वह वेश्यागृह से छुड़ाई गयी एक नाबालिग लड़की के मामले में जांच करने पटना होम गयीं। उन्होनें पाया कि इस आश्रयगृह की दशा अच्छी नहीं है और उस लड़की की सुरक्षा के बारे में मुख्य सचिव से बात की।

- वार्धा में 16 मार्च 2005 को 'विस्तीर्ण शोध एवं स्वैच्छिक कार्यवाही का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (भारत-जर्मनी)' द्वारा 'महिला सशक्तिकरण एवं विस्तीर्ण विकास' पर आयोजित सेमिनार में सदस्या नीवा कंवर ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। जर्मनी के शिष्टमंडल की सुश्री इरमल मारला ने सेमिनार की अध्यक्षता की। एक आइएएस अधिकारी डा. कमल ताओरी ने भी इसमें भाग लिया।

  अपने भाषण में, सुश्री कंवर ने वहां उपस्थित युवा वर्ग से अपील की कि विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर कृषि के विकास के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास में ज्ञान और हुनर प्राप्त कर सशक्तिकृत हों। घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम तथा बाल विवाह अधिनियम सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों पर जो महिलाओं के हितों की रक्षा करते हैं, उन्होंने प्रकाश डाला।

सुश्री नीवा कंवर (बायें से द्वितीय) महिला सशक्तिकरण संबंधी सेमिनार में

खून की कमी वाली विवाहित महिलाएं भारत में सबसे अधिक

यूनिसेफ के अनुसार, भारत में खून की कमी वाली सबसे अधिक विवाहित महिलाएं और बच्चे हैं। महिलाओं का निम्न सामाजिक स्तर, खराब भोजन, स्वास्थ्य की सुविधाओं की ऊंची लागत तथा कुछ जननिक समस्याएं इसके लिए उत्तरदायी हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III के अनुसार, वर्ष 2006 में 15 तथा 49 वर्ष के बीच में आयुवर्ग में 56.2 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी से प्रभावित थीं जब कि वर्ष 1999 में यह प्रतिशत 51.1 था। इसी प्रकार तीन और छः वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों में खून की कमी का प्रतिशत 2006 में 79.1 प्रतिशत तथा 1999 में 74.2 प्रतिशत था। अमेरिका तथा यूरोप में 20 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में खून की कमी होती है।

महिला सांसदों की संख्या भारत में बहुत कम

अंतर-संसदीय यूनिअन द्वारा जारी किए गये आंकड़ों के अनुसार, संसद के अवर सदन में महिला विधायकों की संख्या के मामले में भारत का नम्बर बहुत नीचा है, अर्थात 189 देशों में 108 वां।

यह बड़ी दिलचस्प बात है कि इस मामले में पाकिस्तान की स्थिति कही अच्छी है, अर्थात् 48 वां नम्बर और नेपाल का नम्बर इटली के बराबर 63 वां है। श्री लंका 124 वें नम्बर पर है और भूटान 131 वें नम्बर पर।

चीन का नम्बर 49 वां है और बंगलादेश, जहां 345 संसदीय स्थानों में 45 महिलाएं हैं, 72 वें नम्बर पर आता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग के शिकायत एवं जांच कक्ष में, जनवरी 2007 से मार्च 2007 तक 3415 शिकायतें दर्ज की गयीं। ये शिकायतें विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत प्राप्त हुयी जैसे दहेज, दहेज-मृत्यु, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, पुलिस उदासीनता इत्यादि

महत्वपूर्ण निर्णय

•

उच्चतम न्यायालय के अनुसार, यदि कोई महिला अपने पति की सहमति के बिना बच्चा न होने का निर्णय लेती है, अथवा वह काफी अरसे तक उसके साथ सम्भोग करने से इनकार कर देती है, तो यह बात पति को मानसिक उत्पीड़न पंहुचाने के बराबर होगी और इस आधार पर पति तलाक मांग सकता है। यही बात पत्नी के लिए भी तलाक का आधार बन सकती है। लम्बे अरसे तक लगातार अलग रहना भी मानसिक उत्पीड़न है। न्यायालय ने आगे कहा कि ''यदि कोई पति बिना चिकित्सीय कारणों से और पत्नी की सहमति के बिना अपनी नसबंदी कराता है, और इसी प्रकार पत्नी भी बिना चिकित्सीय कारणों से और अपने पति की सहमति के बिना नसबंदी अथवा गर्भपात कराती है तो यह कार्य उनके लिए मानसिक क्रूरता होगी।''

•

दिल्ली उच्चन्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया कि यदि कोई नाबालिग लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग जाये और विरोधी परिवार की धमकियों से बचने के लिए तत्पश्चात उससे विवाह कर ले, तो लड़की या उसके प्रेमी को अपराधी करार नहीं दिया जा सकता।

न्यायालय ने कहा कि माता-पिता को अपनी पुत्रियों का जबरदस्ती विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ''संविधान में प्रदत्त जीवन और सम्पत्ति के अधिकार नाबालिगों को भी समान रूप से प्राप्त हैं।

• घरेलू हिंसा के पीड़ितों की सहायता करने और महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए, दिल्ली सरकार ने सोलह महिला संरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की है। ये नियुक्तियां 'घरेलू हिंसा' से महिलाओं की संरक्षा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत की गयी हैं।

•

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि दूल्हा पक्ष की ओर से दहेज की मांगों के बावजूद भी यदि किसी लड़की के माता-पिता उसका विवाह वहां करते हैं तो उन्हें इस अपराध के भागीदार के रूप में देखा जायेगा और मुकद्दमा दायर होगा।

•

सरकार का अनैतिक व्यापार की सजा को अधिक कठोर बनाने का प्रस्ताव है - बच्चों का व्यापार करने के लिए 10 वर्ष का कारावास और बड़ों का व्यापार करने के लिए 7 वर्ष का कारावास।

सेक्स की याचना करने वालों अथवा सेक्स के ग्राहक तलाशने वालों को भी इस संशोधन की जद में लाया गया है। जो व्यक्ति यौन शोषण के प्रयोजन से किसी वेश्यालय में पाया जाता है वह सजा का भागीदार होगा।

यह भारत है!

उड़ीसा के नौपाड़ा जिले की छकोटिया भुंजिया जनजाति की चार लड़कियों ने हाल ही में उड़ीसा सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित मेट्रिक परीक्षा दी थी। वहां की जनजाति समाज ने चारों लड़कियों के परिवार वालों का इस आधार पर बहिष्कार कर दिया है कि उन्होनें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया और इसलिए भी कि लड़कियों ने स्कूल की वर्दी और चप्पलें पहनी।

: www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सब-अर्बन प्रेस, 244/5, गली नं. 13, थान सिंह नगर, आनंद पर्वत, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित

• सम्पादक : गौरी सेन